अधिशासी अभियन्ता,

पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड–6, नजीबाबाद

जन सूचना के अधिकार के अर्न्तगत 16 बिन्दुओं पर सूचना

क्र.सं.	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	अपने संगठन की विशिष्टियाँ कृत्य और कर्तव्य	शासन द्वारा स्वीकृत पूर्वी गंगा नहर परियोजना के अर्न्तगत कृषकों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु जनपद बिजनौर में विभिन्न नहरों का निर्माण कराया जा रहा है। जिन नहरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है उन नहरों के कमाण्ड में कृषकों को खरीफ फसल में विगत वर्षो से सींच सुविधा उपलब्ध करायी जा रहीं है।
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियेां की शक्तियाँ और कर्तव्य,	अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते है और राज्य सरकार के अधीन ही शासकीय कार्य सम्पन्न करते है।
3.	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	कार्यो के प्रभावी सम्पादन हेतु क्रम में निम्न अधिकारी/ कर्मचारी कार्यरत है। अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता, मुख्य लिपिक, खण्डीय लेखाधिकारी जिलेदार, वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, सींचपर्यवेषक, सींचपाल तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि। शासन द्वारा स्वीकृत परियोंजना के अर्न्तगत कृषकों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु नहर निमार्ण एवं संचालन का कार्य किया जा रहा है। कार्यालय नहर कालोनी कोतवाली रोड, नजीबाबाद में स्थित है।
4.	अपने कृत्यों के निवर्हन के लिये स्वंय द्वारा निर्धारित मापमान	अधिशासी अभियन्ता का पद सृजित है जिसके नियन्त्रण में रहकर सभी अधिकारी एवं कर्मचारी शासकीय कार्य सम्पन्न करते है।
5.	अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख	शासन द्वारा स्वीकृत पदों के अनुरूप अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता, मुख्य लिपिक, खण्डीय लेखाधिकारी, जिलेदार, वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, सींचपर्यवेषक, सींचपाल, तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है जिनके द्वारा समय –समय पर निर्गत शासनादेश पूर्वघोषित नियमावली एवं विभागीय आदेशों के अनुसार कार्य करते हुए विभिन्न अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख सुरक्षित रखे जाते है। समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियो द्वारा धारित दस्तावेज का पूर्ण विवरण कार्यालय में उपलब्ध है।
6.	ऐसे दस्तावेजो की श्रेणी का विवरण जो	शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख सुरक्षित रखें जाते है।

	उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियन्त्रण में है।	समय–समय पर नियमानुसार अवलोकन एवं निरीक्षण की कार्यवाही की जाती है।
7.	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति, निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है।	शासन द्वारा स्वीकृत परियोजना के अनुसार नहर निर्माण का कार्य मुख्य अभियन्ता एंव अधीक्षण अभियन्ता के निर्देशन में सम्पन्न कराया जाता है। समय–समय पर मा0 मंत्री जी मा0 सांसद जी, मा0 विधायकगण एंव अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा कार्य स्थल का निरीक्षण किया जाता है एवं उनके साथ अधिकारियों द्वारा बैठक कर परामर्श लिये जाते है।
8.	बोर्ड, परिषदों, समीतियों ओर अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिये की गयी हों और यह विवरण कि क्या इन बोर्डो,परिषदो, समीतियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगो के लिये खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगो के लिये सुलभ है।	जिला प्रशासन द्वारा आहूत विभिन्न बैठकों में एवं सिंचाई बन्धु की बैठक में शासन की मशांनुसार जन प्रतिनिधियों की राय/सुझाव दिये जाते है। एवं तद्नुसार कार्यवाही की जाती है।
9.	अपने अधिकारियों और कर्मचारियेां की निर्देशिका	इस खण्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य सरकार के नियन्त्रण में कार्यवाही सुनिश्चित करते है और राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन करते हुए राजकीय कार्यो का सम्पादन करते है।
10.	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसक विनियमों में तथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।	विभागीय नियमावली के अनुसार कर्मचारियों के मासिक एवं त्रैमासिक आकड़े अधीक्षण अभियन्ता पूर्वी गंगा नहर मण्डल बिजनौर एवं मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग मुरादाबाद को उपलब्ध करायें जाते है। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक एवं यथा उपबन्धित प्रतिकर का विवरण खण्डीय स्तर पर पंजीका/रजिस्टर में रखा जाता है।
11.	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और कियें गये संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टयाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण का आंबटित बजट	स्वीकृत परियोंजना के अन्तर्गत नहरों के निर्माण हेतु शासन द्वारा बजट आंबटित होने के पश्चात साख सीमा प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी जाती है जिसका नियमानुसार समुचित उपभोग करके सम्बन्धित अधिकारियों को साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक व्यय विवरण भेजा जाता है।
12.	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आंबटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों	कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

	के लाभर्थीयों के ब्योरे सम्मिलित है।	
13.	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारी के प्राप्तीकर्ताओं की विशिष्टिया	शासन द्वारा स्वीकृत परियोजना के अनुरूप नहर निर्माण का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं भारतीय मानक संस्थान नई दिल्ली द्वारा निर्गत नियमों एवं विशिष्टियों के अनुसार कराया जा रहा है।
14	किसी इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उनको उपलब्ध हो या उनके द्वारा धारित हो।	समस्त सूचनायें उच्च अधिकारियों को संकिलत कर भेजी जाती है। आवश्यकता अनुसार प्रिंट मीडिया से प्रचार प्रसार कराया जाता है।
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टिया जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटें सम्मिलित है।	कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
16	जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां	जनसूचनाधिकारी – श्री आर.डी. कठारिया, अधिशासी अभियन्ता पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड 6 नजीबाबाद। सहायक जनसूचनाधिकारी – श्री दिनेश कुमार जैन, सहायक अभियन्ता तृतीय पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड 6 नजीबाबाद।

अधिशासी अभियन्ता
पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड – 6
नजीबाबाद।